डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 दिसम्बर, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

| वर्ष 64 | अंक 14 | भोपाल | 16 दिसम्बर, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सभी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन का काम निर्धारित समयावधि में पूरा हो - मंत्री डॉ. भदौरिया

मंत्री डॉ. भदौरिया ने सहकारिता विभाग की समीक्षा

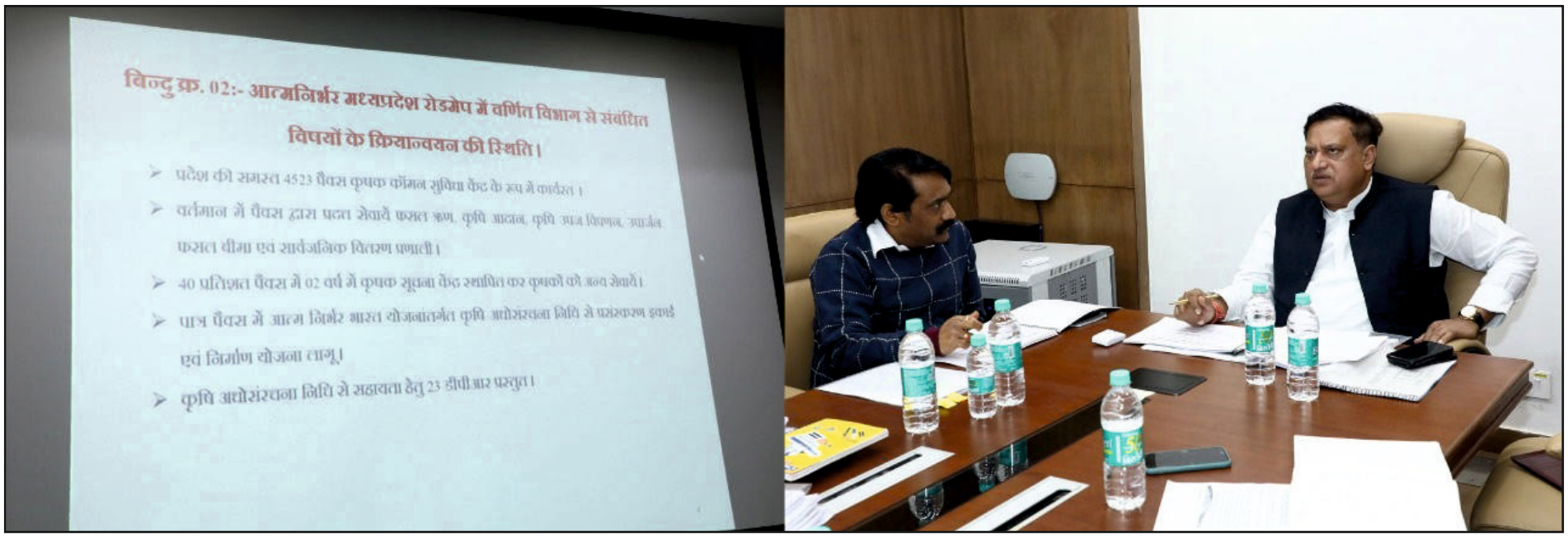

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन 3 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। डॉ. भदौरिया ने बताया कि कंप्यूटराइजेशन के लिए विभागीय बजट में 20 करोड़ के प्रावधान के साथ ही नाबार्ड द्वारा भी 5 करोड़ की सहायता की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस कार्य के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री डॉ. भदौरिया मंत्रालय में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केंद्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने लिए अपैक्स बैंक स्तर पर वेंचर कैपिटल सेल का गठन किया गया है। वेंचर कैपिटल पोर्टल का आर्किटेक्ट भी नियत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स समितियों में ई–मंडी एवं कृषक सुविधा केंद्र बनाए जाना शुरू हो गए हैं। यहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक 160 पैक्स संस्थाओं का चयन किया गया है, शेष संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया जारी है। पैक्स में कृषकों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। सभी 4523 पैक्स में कृषकों को फसल ऋण, कृषि आदान, कृषि उपज विपणन, उपार्जन, फसल बीमा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 40 प्रतिशत समितियों में ई–मंडी एवं कृषक सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं।

समीक्षा में बताया गया कि उर्वरक वितरण व्यवस्था के लिए पोर्टल बनाकर कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। इस व्यवस्था से पेपर वर्क समाप्त होगा वही रेक्स से समितियों तक उर्वरक पहुंचने में लगने वाले समय में भी बचत होगी।

बैठक में बताया गया कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को खरीफ 2020 में 9580 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 26% अधिक है। इसी तरह रबी 2020–21 में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में अभी तक 27% अधिक ऋण वितरण किया गया है। रबी 2020–21 के लिए ऋण वितरण का कार्य अभी जारी है। यह भी बताया गया कि कृषकों को गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक उर्वरक का वितरण किया गया है। समीक्षा में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा 63096 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। योजना अंतर्गत केसीसी वितरण में लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति की गई है अभी तक कृषकों को 175.96 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है।

इसके अलावा 6120 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं इनमें से 5351 पशुपालकों को 18 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, एमडी मार्कफेड श्री पी नरहरि, अपर आयुक्त श्री अरुण माथुर संयुक्त रजिस्ट्रार श्री अरविंद सिंह सेंगर व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सहकारी समितियाँ सिंगल प्वाइंट सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में काम करेंगी

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन–सामान्य को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र की समितियों में कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के रिकार्ड के डिजिटाइजेशन के साथ ही सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ा जायेगा, जिससे सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिये कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और दक्षता को बढ़ाया जा सकेगा। समितियों से जुड़े किसानों/सदस्यों को अन्य संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ ही बाधारहित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि संस्थाओं में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया से ऋण वितरण सहित बैंकिंग कार्य में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। इससे समितियों के प्रति लोगों में विशेषकर किसानों में विश्वास बढ़ेगा। इस प्रक्रिया से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के उपलब्ध ढाँचे की क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए हानियों/खर्चों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटा–इजेशन से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बैंकिंग की प्रभावी अंतिम कड़ी के रूप में विकसित करने में सफलता मिलेगी। शासकीय योजनाओं अंतर्गत ऋण वितरण, खाद वितरण, उपार्जन कार्य, खाद्यान्नों का विक्रय आदि के प्रबंधन के लिये विश्वसनीय अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सहकारिता से साकार होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश लोकल के लिए वोकल का सपना

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया का मानना है कि सहकारिता हमारा जीवन–दर्शन है। हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। पहले इसकी गतिविधियों का केन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यह नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हरित–क्रांति हो या श्वेत–क्रांति या फिर नीली और पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत बनायेंगे। प्रदेश के किसानों को आधुनिक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु हर संभव कार्यवाही करेंगे।

भारतीय संस्कृति का मूल भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा वसुधैव कुटुम्बकम् और यही भाव सहकारिता का भी है। सहकारिता भारत की मौलिक सोच है, यह कहीं से आयातित विचार नहीं है। यही कारण है कि भारत के जन–मानस में, खासतौर पर किसानों, पशुपालकों, स्व– सहायता समूहों आदि को सहकारिता मॉडल सर्वथा योग्य लगता है। व्यक्ति पीछे रहे और विचार आगे बढ़ें, स्वार्थ पीछे रहे और साथी आगे बढ़े, यही सहकारिता की असली ताकत है।

मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता आंदोलन के प्रति अपनी अनुकूल नीतियों और पिछले 15 वर्षों में लाभप्रद कृषि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन राज्य बनाया, जिसके कारण ही विगत 5 वर्षों से मध्यप्रदेश को भारत सरकार से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त होते रहे। प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर राज्य ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में लोकल के लिये वोकल को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है।

कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिये वर्तमान और भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जैसे उत्पादन लागत के अनुपात में आय और लाभ को बढ़ाना, आदानों की लागत में कमी करना, जल, मिट्टी व जैव–विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ती फार्म मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दक्ष, सस्ती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान बनाने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी को विकसित करना, मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करना।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपिटल फण्ड स्थापित किया जायेगा। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के नये अनुसंधान को पेटेंट कराया जायेगा और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। लघु एवं सीमांत कृषकों को मजबूत बनाने के लिये एपेक्स बैंक के माध्यम से एक वैंचर केपिटल फण्ड स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह वैंचर केपिटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें एपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फेब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट–अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किये गये उपकरण, प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचारों और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेंट में भी सहयोग करेगा।

प्रदेश में 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उनसे संबद्ध 4,523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं। इन समितियों से लगभग 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन–सामान्य को विभिन्न सेवाओं का प्रदाय करने हेतु पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके रिकार्ड डिजिटाइजेशन के साथ सहकारी बैंकों की कोर–बैंकिंग के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिये कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता लायी जा सके और दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों/समिति के सदस्यों को अन्य बैंकिंग संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ बाधा–रहित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी। इससे ऋण वितरण सहित बैंकिंग कार्य में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। परिणामस्वरूप समितियों के प्रति किसानों में विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही समितियों को बैंकिंग की प्रभावी अंतिम कड़ी के रूप में विकसित करने में सफलता मिलेगी। शासकीय योजनाओं अंतर्गत ऋण व खाद वितरण, उपार्जन कार्य, खाद्यान्नों का विक्रय आदि के प्रबंधन हेतु विश्वसनीय अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य इस प्रकार कराया जाये, जिससे कि समितियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आये। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य शासन ने इस हेतु वर्ष 2020–21 के बजट में सहकारिता विभाग के लिये 20 करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने बताया कि हमारा यह प्रयास होगा कि इस कार्यवाही को एक समयबद्ध कार्य–योजना बनाकर पूर्ण किया जाये। सहकारी समितियों के पंजीयन की व्यवस्था को फेसलेस, पारदर्शी, डिजिटल एवं आम जनता के लिये सुगम व सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सहकारिता विभाग की सेवाएँ भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में लायी गई हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया का मानना है कि सहकारिता हमारा जीवन–दर्शन है। हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। पहले इसकी गतिविधियों का केन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यह नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हरित–क्रांति हो या श्वेत–क्रांति या फिर नीली और पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत बनायेंगे। प्रदेश के किसानों को आधुनिक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु हरसंभव कार्यवाही करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म–दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में 17 से 23 सितम्बर तक मनाये गये गरीब कल्याण सप्ताह अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में 63 हजार नवीन किसान, पशुपालक, मत्स्य–पालक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट–कार्ड प्रदान किये। इन किसानों के लिये राज्य शासन द्वारा 335 करोड़ रुपये की साख सीमा भी स्वीकृत की गई। सहकारी समितियों द्वारा 36 हजार से अधिक किसानों को 122 करोड़ का ऋण वितरण भी किया गया। उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये 800 करोड़ रुपये की सहायता भी सहकारी बैंकों को प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कृषक हितग्राहियों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के लिये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में दो किश्तों में 4 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार किसानों को प्रतिवर्ष कुल 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 77 लाख हितग्राही किसान लाभान्वित होंगे।

– श्रवण कुमार सिंह

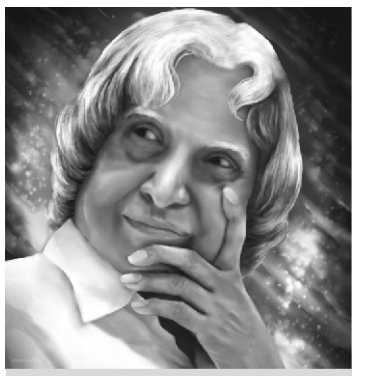

शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता, और भविष्य को आकार देता हैं। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा।
– अब्दुल कलाम

प्रदेश में 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उनसे संबद्ध 4,523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं। इन समितियों से लगभग 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन–सामान्य को विभिन्न सेवाओं का प्रदाय करने हेतु पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके रिकार्ड डिजिटाइजेशन के साथ सहकारी बैंकों की कोर–बैंकिंग के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिये कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता लायी जा सके और दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों/समिति के सदस्यों को अन्य बैंकिंग संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ बाधा–रहित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी।

लघु और सीमांत किसानों के लिये स्थापित होगा बैंचर केपीटल फण्ड

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में लघु और सीमांत खेती वाले किसानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के माध्यम से एक बैंचर केपीटल फण्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह बैंचर केपीटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें अपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फैब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट–अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किए गए उपकरण, प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा तथा इस हेतु एक इको सिस्टम विकसित करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेण्ट में भी सहयोग करेगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और लोकल के लिये वोकल की दिशा में भी अपनी तैयारियों को मूर्तरूप देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अभी वर्तमान व भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनमें उत्पादन लागत के अनुपात आय और लाभ को बढ़ाना, आदान की लागतों में कमी करना, जल, मिटटी, जैव विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ते फार्म मशीनरी की उपलब्धता, दक्ष सस्ती तथा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान करने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी विकसित करना तथा मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करने जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर केपीटल फण्ड स्थापित किया जाये। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के लिये नये अनुसंधान को पेटेण्ट कराना और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

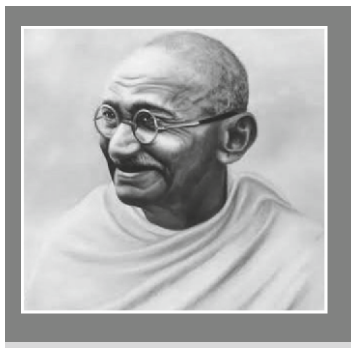

भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे–धीरे दुनिया आपको सुनेगी।
–महात्मा गांधी

विपणन सहकारी संस्थाओं की मजबूती के प्रयास

भारत सरकार ने किसानों के लिये कृषि अधोसंरचना के लिये दिनांक 15.05.2020 को 1.00 लाख करोड़ रूपये एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर फण्ड की घोषणा की गयी है। फार्म गेट एवं एग्रीगेशन पाईन्टस (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां किसान उत्पादक संगठन कृषि उद्यमी स्टार्टअप आदि) में कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 100000.00 करोड़ रूपये प्रदान किये जायेंगे। फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदु सस्ती और आर्थिक रूप से सक्षम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्टक्चर के विकास के लिये उक्त राशि से वित पोषण होगा।

आत्मनिर्भर भारत जैसा कि नाम से ही विदित है कि वह भारत जे आत्मनिर्भर हो। कृषि विक्रय और उत्पादन की गतिशीलता को अगले स्तर तक ले जाने के लिये बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से ही विशेष रूप से फसल के बाद के चरण में किसानों के लिये मूल्यसंवर्धन और उचित सौदे के अवसर के लिये उपज का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के बुनियादरी ढांचे का विकास प्रक्रति की अनिश्चितताओं क्षेत्रीय विषमताओं मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति आदि का समाधान करेगा।

भारत सरकार ने किसानों के लिये कृषि अधोसंरचना के लिये दिनांक 15.05.2020 को 1.00 लाख करोड़ रूपये एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर फण्ड की घोषणा की गयी है। फार्म गेट एवं एग्रीगेशन पाईन्टस (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां किसान उत्पादक संगठन कृषि उद्यमी स्टार्टअप आदि) में कृषि अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 100000.00 करोड़ रूपये प्रदान किये जायेंगे। फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदु सस्ती और आर्थिक रूप से सक्षम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्टक्चर के विकास के लिये उक्त राशि से वित पोषण होगा।

ऋण का वितरण चार वर्षो में किया जायेगा। चालू वर्ष में 10000.00 करोड़ रूपये और अगले 3 वित्तीय वर्षो में 30000.00 करोड़ की मंजूरी दी गयी हैं इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रूपये की सीमा तक ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी यह छूट अधिकतम 7 वर्षो के लिये उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटर प्राईजेस (CGTMSE) द्वारा प्रदान की जायेगी। इसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।

इस योजना में प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड के माध्यम से 4 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट के उपरांत प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को मात्र 1 प्रतिशत ऋण उपलब्ध होगा इसी प्रकार विपणन सहकारी समितियों को बैंकों से निर्धारित दर पर ऋण प्राप्त होगा। इस योजना में 3 प्रतिशत की छूट उपरांत समितियों को लगभग 5 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध होगा इस हेतु भारत सरकार द्वारा 18 बैंकों के साथ ;डन्द्ध किया है। इस हेतु चयनित प्राथमिक सहकारी विपणन सहकारी समितियों में इस महत्वाकांक्षी योजना में ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

वेंचर केपीटल फण्ड

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और लोकल के लिये वोकल की दिशा में अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देने की दिशा में अपैक्स बैंक के माध्यम से वेंचर केपीटल फंड की स्थापना की गयी है।

अपैक्स बैंक द्वारा स्थापित किये गये वेंचर केपीटल फंड योजना में पात्र व्यक्तिगत किसानों या किसान समूह, शोधकर्ता या शोधकताओं का समूह अनुसंधान संगठन सहित मशीनरी फेब्रीकेटर या प्रवर्तक व्यक्ति तक पहुंचाने एवं योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित करना होगा। भारत सरकार द्वारा इसके पहले कृषि के क्षेत्र में इतनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा नहीं की है। अतः इस अवसर या योजना का लाभ पैक्स एवं विपणन सहकारी संस्थाओं को दिलाये जाकर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाना है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अन्तर्गत 800 नयी दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित

6300 से अधिक पशुपालकों को 18.86 करोड़ रुपये की साख सीमा के केसीसी स्वीकृत

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अन्तर्गत प्रदेश में 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 40 हजार दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। दुग्ध संघों द्वारा इन किसानों से एक लाख 20 हजार लीटर दुग्ध क्रय किया जा सकेगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित प्रदेश के 2 लाख 68 हजार दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत पशुपालकों को पशुपालन के लिए 1 लाख 60 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन पशुपालक भी ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों एवं अन्य पशुपालकों को उनकी क्रेडिट की महती आवश्यकता को देखते हुए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने का अभियान प्रारंभ किया गया है। अभी तक सहकारी बैंकों द्वारा 6,300 से अधिक पशुपालक कृषकों को 18 करोड़ 86 लाख रुपये की साख में सीमा केसीसी स्वीकृत किये जा चुके है। उक्त स्वीकृत प्रकरणों में से 3,040 कृषकों को 8 करोड़ 39 लाख रुपये का ऋण वितरण भी किया जा चुका है।

मंत्री डॉ.भदौरिया ने यह भी बताया कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा मत्स्य पालकों को भी क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने का अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे मछुआरों को क्रेडिट की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अभी तक लगभग 662 मत्स्य पालकों को कृषकों को 54 लाख 50 हजार रुपये के क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं, जबकि 378 कृषकों को 20 लाख 53 हजार रुपये का ऋण वितरण भी किया जा चुका है।

प्रदेश में 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें 18 लघु वनोपजों की प्रजातियों के समर्थन मूल्य पहली बार शामिल किए गये हैं। इसमें प्रमुख रूप से गिलोय, कालमेघ, गुडमार और जामुन बीज शामिल हैं। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया है कि इस वर्ष अप्रैल माह में 14 लघु वनोपजों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि भी की गई है। इसमें महुआ फूल, अचार गुल्ली, शहद, पलास लाख एवं कुसुम लाख शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। लघु वनोपजों के संग्रहण मूल्य निर्धारित होने से वनवासियों को इन वनोपजों के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इससे उनके आर्थिक हालात भी सुधरेंगे।

प्रदेश में सुशासन के लिए रूटीन गवर्नेंस व फोकस्ड एजेंडा दोनों पर कार्य करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए रुटीन गवर्नेंस और फोकस्ड एजेंडे दोनों पर कार्य किया जाए। एक तरफ जहां जनता के रोजमर्रा के कार्य बिना किसी बाधा के सुगमता से हों वहीं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व शासन की प्राथमिक वाले विषयों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से शासन के सभी विभागों की निरंतर मॉनीटरिंग एवं रैंकिंग की जाएगी तथा अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, आई.जी., कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के प्रथम सत्र में कार्यों की समीक्षा की। वी.सी. के प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डी.जी.पी श्री विवेक जौहरी तथा सभी संबधित उपस्थित थे।

सुशासन की परिभाषा बताई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुशासन की परिभाषा बताते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है जनता को बिना लिए–दिए समय पर शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। हमारा लक्ष्य है प्रदेश की जनता को सुशासन देना। हमें जनता का कार्य करने के तरीके निकालने हैं न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने हैं।

आप शासन के प्रतिनिधि हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर्स–आई.जी., कलेक्टर्स–पुलिस अधीक्षकों से कहा कि आप शासन के प्रतिनिधि हैं अतः अपने क्षेत्र में सुशासन सुनिश्चित करना आप सभी की जिम्मेदारी है। जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद रखें।

आत्मनिर्भर पोर्टल पर पूरी जानकारी

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सभी विभागों का रोडमैप तथा सभी विभागों की विभागवार एवं जिलावार जानकारी अपलोड की गई है। इसके साथ ही समस्त आवश्यक जानकारियों एवं सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है।

उपार्जन के साथ ही कलेक्टर्स मिलिंग के कार्य पर भी फोकस करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहली बार धान के उपार्जन के साथ ही मिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, अतः कलेक्टर्स इस ओर विशेष ध्यान दें। सीमावर्ती कलेक्टर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपार्जन के लिए प्रदेश के बाहर से धान न आए। समर्थन मूल्य खरीदी के अंतर्गत इस बार अभी तक 5 लाख 40 हज़ार टन धान का उपार्जन किया गया है, वहीं 2 लाख 15 हज़ार टन मोटे अनाज ज्वार व बाजरे का उपार्जन किया गया है।

35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार 35 उपार्जन केंद्र स्व सहायता समूहों को सौंपे गए हैं तथा उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का 3 दिन में भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

भू–माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू–माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके रसूख को जमींदोज किया गया है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सतना आदि जिलों के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब को कोई परेशानी न हो।

चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रदेश में 184 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3528 निवेशकों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए वापस दिलवाए गए हैं। छतरपुर, कटनी, नीमच, रतलाम जिले के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं तथा निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलवाएं।

मिलावटखोरी महापाप, सख्त कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावटखोरी महापाप है। मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में ग्वालियर, गुना, मुरैना, जबलपुर, इंदौर उज्जैन में अच्छी कार्यवाही हुई है, शेष जिलों में भी ऐसी ही कार्रवाई हो।

अवैध खनन पर कार्रवाई हो, वैध ठेकेदारों को संरक्षण दें, भिंड जिले में अच्छा प्रयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ वैध ठेकेदारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में देवास, सिंगरौली, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि जिलों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। भिंड जिले में अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए अच्छा प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में वीडियो कैमरे लगाकर तथा चेकपोस्ट आदि बनाकर अवैध खनन एवं परिवहन को रोका गया है।

बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में होशंगाबाद से गायब एक बालिका को नेपाल बॉर्डर से तथा बुदनी से गायब एक बालिका को सिकंदराबाद से वापस लाया गया है।

चिन्हित अपराधों में सजा के बाद भी फॉलो अप करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिन्हित एवं जघन्य अपराधों में सजा के फैसले के बाद भी फॉलोअप किया जाए, जिससे दोषियों को अंतिम रूप से सजा मिल सके। प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में 97 व्यक्तियों को मृत्युदंड एवं 3553 को आजीवन कारावास हुआ है।

सभी हितग्राहियों को मिल जाएं पात्रता पर्चियां एवं राशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में जोड़े गए सभी 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां एवं राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत पूर्व में 25 लाख व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है, शेष व्यक्तियों को भी लाभ शीघ्र मिल जाए। इस संबंध में छिंदवाड़ा, झाबुआ, होशंगाबाद, आगर एवं मंडला जिलों के अधिकारियों को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई।

पथ विक्रेता योजना में स्वीकृति एवं ऋण वितरण दोनों सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं में न सिर्फ अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत हों अपितु सभी में ऋण वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों से आवश्यक समन्वय करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगामी 21 दिसंबर को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना तथा 26 दिसंबर को शहरी पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए। इस दिन लगभग एक लाख शहरी पथ विक्रेताओं तथा 74 हज़ार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण किया जाएगा।

सहकारिता के माध्यम से अब कृषक बनेंगे उद्यमी - डॉ. भदौरिया

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से अब प्रदेश के कृषक उद्यमी बनेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्ट कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना किये जाने की योजना क्रियान्वित की है। इन संस्थाओं द्वारा सदस्य कृषकों की भागीदारी से ये उद्योग स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को होने वाले लाभ का विभाजन कृषकों की हिस्सेदारी के आधार पर किया जायेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में प्रथमतः 202 संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्ट कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा रही है। इसे आगामी दिनों में 1200 संस्थाओं तक बढ़ाने की योजना है। उन्होंने बताया कि संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्ट कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण तथा अन्य संस्थाओं को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ एवं विपणन संस्थाएँ कृषकों को उनकी आवश्यकताओं की समस्त सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करायेंगी। इसके लिये संस्थाओं में कृषकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए कृषक सुविधा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों द्वारा प्रथमतरू 296 संस्थाओं में कृषक सुविधा केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। इन्हें बढ़ाकर एक वर्ष में 1600 संस्थाओं में चालू किये जाने की योजना है। प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एंव बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों में आवश्यकतानुसार गोदाम निर्माण तथा अन्य आवश्यक आधारभूत निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कृषकों की आय को दोगुना करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। प्रदेश के कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिता विभाग की अहम भूमिका होगी। इसके लिये सहकारी संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्ट कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है।

जन्म और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है। इसलिए इस अंतराल में खुश रहिये और दूसरों को खुश करिए. जीवन के हर पल का आनंद लीजिये।

—दीदी शिवानी

7 लाख 54 हजार मीट्रिक टन खरीफ उपज का बम्पर उपार्जन

किसान की उपज का खरीदा जाएगा एक एक दाना

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में किसानों से अभी तक 7 लाख 54 हजार 861 मीट्रिक टन खरीफ उपज का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें 5 लाख 39 हजार 8 मीट्रिक टन धान, 1 लाख 90 हजार 270 मी.ट. बाजरा एवं 25 हजार 583 मी.ट. ज्वार की खरीदी की गई है।

619 करोड रूपये का किसानों का भुगतान

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि खरीफ उपज की खरीदी के बदले किसानों को ई पेमेन्ट के माध्यम से अभी तक 619 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि ई पेमेन्ट के माध्यम से सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। प्रदेश में 1552 उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये। इनमें एक हजार 419 केन्द्रों पर धान की खरीदी की गई जबकि बाजरे एवं ज्वार की खरीदी 133 केन्द्रों पर की जा रही है।

7 लाख से अधिक किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि खरीफ फसल के विक्रय के लिए 7 लाख 81 हजार 168 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिसमें 7 लाख 72 हजार 593 पंजीकृत किसानों से उनकी उपज निर्धारित मूल्य पर खरीदी की गई। जिसमें से धान के लिए 7 लाख 18 हजार 541,ज्वार के लिए 14 हजार 065 एवं बाजरे के लिए 39 हजार 987 किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण किया गया।

5 लाख 67 हजार मी.ट. से अधिक उपज का परिवहन

उन्होंने बताया कि अभी तक खरीदी केन्द्रों से गोदाम तक 5 लाख 67 हजार 249 मीट्रिक टन उपज का परिवहन किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 89 हजार 445 मीट्रिक टन धान, 1 लाख 77 हजार 804 मी.ट. बाजरा एवं ज्वार का परिवहन कर सुरक्षित गोदाम तक पहुँचाया जा चुका है।

नवगठित नगरीय निकायों में नियुक्त होंगे प्रशासक

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित नगरीय निकायों में समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रशासक नियुक्त करने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रशासकों की नियुक्ति आम निर्वाचन सम्पन्न होने और नवीन परिषद् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिये की गई है।

हरदा जिले की नगर परिषद् सिराली, बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, मंदसौर जिले की भैंसोदा, शिवपुरी जिले की रन्नौद, पोहरी, मगरोनी, भिण्ड जिले की रौन, मालनपुर, रीवा जिले की डभौरा, शहडोल जिले की बकहो, अनूपपुर जिले की डोला, डुमरकछार, बनगवां, उमरिया जिले की मानपुर, सागर जिले की बिलेहरा, सुरखी, सिवनी जिले की केवलारी, छपारा, खरगोन जिले की बिस्टान, बड़वानी जिले की ठीकरी, निवाली बुजुर्ग, धार जिले की गंधवानी, ग्वालियर जिले की मोहना, गुना जिले की मधुसूदनगढ़, अशोकनगर जिले की पिपरई और पन्ना जिले की नगर परिषद् गुनौर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

ग्रामों के तेजी से विकास के लिये विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय जरूरी

पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री श्री पटेल ने जिला पंचायत भवन का किया लोकार्पण

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि ग्रामों के तेजी से विकास के लिये विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने जिला पंचायत से जुड़े अधिकारियों से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये समर्पण के साथ कार्य करने के लिये कहा। राज्य मंत्री श्री पटेल आज सतना में जिला पंचायत भवन के नवीन कार्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। पंचायत कार्यालय भवन करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। भवन में वाटर हॉर्वेस्टिंग की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है।

राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रतिमाह कम से कम दो बार वेबिनार के माध्यम से पंचायत स्तर की बैठक आयोजित कर जिलाधिकारी कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कार्यालय परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये। सांसद श्री गणेश सिंह ने इस मौके पर कहा कि पंचायत राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामसभा है। उन्होंने ग्रामीण विकास के मामले में सतना जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित किये जाने की बात कही। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह ने भी संबोधित किया।

प्रदेश में वनवासियों के 2 लाख 60 हजार से अधिक हक प्रमाण-पत्र वितरित

भोपाल। प्रदेश में वन भूमि पर काबिज वनवासियों को उनकी जमीन के हक प्रमाण–पत्र वितरित किये जाने का कार्य निरंतर जारी है। अब तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा करीब 2 लाख 60 हजार से अधिक वन भूमि के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावें मान्य किये जा चुके हैं। जिन दावों को पूर्व में निरस्त किया गया है। उनके पुनरीक्षण का कार्य विभाग द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वनवासियों के 2 लाख 38 हजार 405 व्यक्तिगत दावे और 29 हजार 996 सामुदायिक दावे मान्य किये गये हैं। जिन वनवासियों को हक प्रमाण–पत्र मिले है उन्हें राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मदद भी दी जा रही है।

निरस्त दावों के पुनरीक्षण का कार्य जारी

करीब 62 हजार वनवासियों को आवास, 55 हजार वनवासियों को कपिलधारा, 60 हजार वनवासियों को भूमि समतलीकरण और करीब 25 हजार वनवासियों को सिंचाई सुविधा के लिये डीजल एवं विद्युत पम्प उपलब्ध कराये गये हैं।

सामूहिक दावों के मामलों में मध्यप्रदेश देश पर पहले स्थान पर है। वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला डिण्डोरी में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की 7 बसाहटों के हेबीटेट राईट मध्यप्रदेश में सबसे पहले दिये गये हैं। वनाधिकार के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में तीन स्तरों पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है। यह समितियाँ ग्राम स्तर, उप खण्ड और जिला स्तर पर काम कर रही हैं। प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया था। देश भर में सबसे पहले वनाधिकार अधिनियम को मध्यप्रदेश में लागू किया गया। वनाधिकार हक प्रमाण–पत्र धारकों के अभिलेखों के संधारण, नामांतरण एवं बटवारे की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। वन विभाग को एक लाख 56 हजार अभिलेख एवं दस्तावेज संधारण के लिये जनजाति कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें मंत्रीगण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैबिनेट बैठक को संबोधित किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्री गण इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें। मंत्री गण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्यप्रदेश में बफर में सफर, ग्लोबल स्किल पार्क तथा हिरोशिमा– नागासाकी स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्री गण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्यप्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

ग्वालियर एवं ओरछा का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि यहां के ग्वालियर और ओरछा शहरों का यूनेस्को की ग्लोबल रिकमेंडेशन योजना के तहत चयन किया गया है।

यहां की पुरातत्व संपदा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। भारत में इससे पूर्व केवल दो शहर वाराणसी और अजमेर पुष्कर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए थे। हमें अब इन दो शहरों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संपदा की दृष्टि से संरक्षण एवं विकास करना है।

तीन बातों का विशेष ध्यान रखें मंत्री गण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री गण तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप तैयार है, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है, प्रत्येक मंत्री गण इस पर तेजी से अमल सुनिश्चित करें तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। कोरोना के कारण प्रदेश में वित्तीय संकट है, ऐसे में सभी निर्माण विभाग कार्यों के लिए आउट ऑफ बजट राशि की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। मंत्री गण केंद्र की विभिन्न योजनाओं में मध्यप्रदेश को अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो, ऐसे प्रयास करें। इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में रहें तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली प्रवास भी करें।

पकड़ो, राजसात करो और जेल भेजो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से अपराध मुक्त करना है। अतः अपराधी तत्वों के विरुद्ध पकड़ो, अवैध सामग्री को रातसात करो तथा जेल भेजो की कार्रवाई निरंतर जारी रहे।

धान खरीदी व खाद आपूर्ति निर्बाध हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति निर्बाध हो यह सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष एवं महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा – कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। इसके लिए अध्यादेश आ चुका है, अब विधानसभा में बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वार्डों का निर्धारण भी अब पूर्व अनुसार होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे अब मतदाता अध्यक्ष एवं महापौर के लिए सीधे वोट डाल सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति

कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे सभी ग्रामों के राजस्व अभिलेख अद्यतन हो जाएंगे।

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी

कैबिनेट द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण संबंधी मंजूरी दी गई। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद अब इसके लिए भूमि का अधिग्रहण मेट्रो अधिनियम 1978 के अंतर्गत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे भू–धारकों को भूमि का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। वहीं भूमि पर गुमटी आदि लगाने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। इससे गरीबों को पूरा न्याय मिल पाएगा।

मध्यप्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल का भारत सरकार के उन्नति पोर्टल से समन्वय

पोर्टल पर प्रतिष्ठित बड़ी, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म कंपनियों के रोजगार सृजन होंगे

भोपाल। श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रारंभ किये गये रोजगार सेतु पोर्टल की नीति आयोग, भारत सरकार ने सराहना करते हुए निर्णय लिया है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किये गये उन्नति पोर्टल से रोजगार सेतु पोर्टल को जोड़ा जाए। इससे मध्यप्रदेश के सभी श्रेणी के बेरोजगारों को रोजगार नियोजन के लिए अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

श्रम मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भारत सरकार के उन्नति पोर्टल से प्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल के जुड़ने से प्रदेश के बेरोजगार उन्नति पोर्टल की सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। उन्नति पोर्टल की लिंक (<https://unnati.gov.in/>) रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए इसे एक बड़ी पहल बताया है।

श्रम मंत्री श्री सिंह ने बताया कि उन्नति पोर्टल नवीन तकनीक से लैस भारत के लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों को उनकी अपेक्षा एवं योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक जॉब पोर्टल है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए. आई) एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति सरलता से अपने पसंदीदा स्थान एवं उद्योग और कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले नियोक्ताओं /रोजगार प्रदाताओं से भारत में कहीं भी सम्पर्क कर सकता है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पोर्टल कम शब्दों का उपयोग करते हुए दृश्य–श्रव्य माध्यम से 09 भाषाओं में रोजगार इच्छुक और रोजगार प्रदाताओं के मध्य जीवंत संपर्क का प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के परे भी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण नियोजन प्राप्त हो सकेगा।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि उन्नति पोर्टल एंड्रॉईड ऐप (<https://play.google.com/store/apps/details\>) एवं वेब पोर्टल (<https://jobseeker.unnati.gov.in/>) के माध्यम से कार्य करेगा, जिस पर मात्र 01 मिनिट में रोजगार इच्छुक व रोजगार प्रदाता पंजीयन करा सकेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति कर सकेंगे। पोर्टल पर अनेक प्रतिष्ठित बड़ी, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म कंपनियों में रोजगार सृजन हो सकेंगे।

प्रमुख सचिव श्रम श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को उन्नति पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल के प्रचार–प्रसार के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

41 जल संरचनाओं के लिए करीब 38 करोड़ मंजूर

शहडोल, सिंगरोली तथा अनूपपुर की ग्रामीण आबादी होगी लाभान्वित

भोपाल। प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को घरेलू नल–कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए जल–संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जल–जीवन मिशन के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शहडोल संभाग के तीन जिलों क्रमशः शहडोल, सिंगरोली तथा अनूपपुर में 41 ग्रामीण नल–जल प्रदाय योजनाओं के लिए 37 करोड़, 91 लाख 10 हजार रूपये की मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाना है। ग्रामीणजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो। ग्रामीण आबादी को घर बैठे ही पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जहाँ जलस्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्त्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे।

शहडोल संभाग के शहडोल जिले की 15, सिंगरोली जिले की 05 तथा अनूपपुर जिले की 21 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के लिए नवीन योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

पंजीकृत किसानों से शत–प्रतिशत धान, बाजरा खरीदा जायेगा

भोपाल। राज्य शासन ने धान और बाजरा उत्पादक किसानों से समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा किसानों का पंजीयन कराया गया है। तुलाई का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरूल्लागंज में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के जिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज धान और बाजरा बेचने के लिये रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका शत–प्रतिशत अनाज खरीदा जायेगा। किन्तु गलत तरीके से एमएसपी के जरिये धान, बाजरा बेचने में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर की जायेगी।

अब एक हजार और 30 टन क्षमता के भी बनेंगे कोल्ड स्टोरेज

विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय

भोपाल। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि बड़ी मंडियों के पास 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के साथ–साथ अब विकासखंड स्तर पर छोटी मंडियों के पास एक हजार मीट्रिक टन क्षमता और किसानों के खेतों पर कृषक उत्पादक समूह के दृष्टिगत 30 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने की दिशा में काम होगा। कोल्ड स्टोरेज निर्माण के विकेंद्रीकरण का यह निर्णय मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के रोडमैप में कोल्ड स्टोरेजों के विकेंद्रीकरण की योजना को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि साग–सब्जी और फल–फूल उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों का सही–सही मूल्य मिले, इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक जहां पर, जिस मंडी में और जिस समय अपने उत्पाद को अधिक मूल्य पर बेचना उचित समझें, तब बेच सके और तब तक रखने के लिए उनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध हो। इसको ध्यान में रखते हुए केवल 5000 हजार मीट्रिक टन क्षमता के ही नहीं, बल्कि विकास खंड स्तर पर 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले तथा कृषक उत्पादक समूहों के दृष्टिगत किसान के खेत स्तर पर 30 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के रोडमैप में शामिल इस योजना के संबंध में राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने बताया कि इससे किसानों, खासकर छोटी जोत के उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में लगे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा से किसानों को उनकी फसल को बेचने के लिए उपयुक्त अवसर मिलेगा और वह जिस मंडी में और जब बेचना चाहेंगे उन्हें उस मंडी में अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव भी मौजूद थीं।

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाये।

–स्वामी विवेकानंद

किसानों को आर्थिक मदद देने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी

किसान कल्याण कार्यक्रम में ग्वालियर से शामिल हुए उद्यानिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह

भोपाल। किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के दिल में विशेष ललक है। इसी का स्वाभाविक फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। पूरे देश में मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के हर किसान के खाते में प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक मदद पहुँचेगी। यह बात प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्वालियर में वी सी के माध्यम से भाग लेने आए किसानों को संबोधित करते हुए कही।

नसरूल्लागंज में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों पर भी हुआ। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट स्थित जन–सुनवाई कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के किसानों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले की तानसेन तहसील के ग्राम मुख्तियारपुरा निवासी श्री वेदराम जाटव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर उनका हालचाल पूछा। श्री चौहान ने पूछा आपके पास कितनी जमीन है और जमीन सिंचित है या असिंचित। इस साल खरीफ में कौन सी फसल ली और रबी में कौन सी फसल लेने जा रहे हैं। एक परिवार के मुखिया की तरह मुख्यमंत्री को रूबरू पाकर वेदराम खुशी से गदगद हो गए और उन्होंने बेझिझक अपने जवाब भी दिए। वेदराम ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि मेरे पास दो बीघा सिंचित जमीन है। इस साल हमने खरीफ में अपनी खेती में लगभग 50 – 60 मन ज्वार पैदा की। रबी में गेहूँ की बोनी की है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जब वेदराम से सवाल किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में आप जानते हैं? ये सवाल सुनकर वेदराम भावुक हो गए और उन्होंने कहा मामाजी अगर ये योजनायें नहीं होती तो हमें कर्ज लेकर अपनी फसल के लिये खाद–बीज का इंतजाम करना पड़ता। उनका कहना था हमारे परिवार की बहुत थोड़ी जरूरतें हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से अब तक हमारे परिवार को 8 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। दो हजार रूपए आज मिल रहे हैं।

मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने एम.पी. एग्रो के चेयरमेन का पदभार ग्रहण किया

भोपाल। व्यवसाय में वृद्धि करने के लिये एम.पी. एग्रो के कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। एम.पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार ग्रहण करने के उपरांत उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह को एम. पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज का अध्यक्ष मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि विभाग के विगत वर्षों के कार्य–कलापों की तुलनात्मक समीक्षा यथाशीघ्र की जायेगी। निगम में अमले की कमी को दूर करने के लिये शीघ्र ही रिक्त पदों पर भर्तियों की कार्रवाई की जायेगी। मंत्री श्री कुशवाह ने पोषण आहार संयंत्र बाड़ी के उत्पादन को बढ़ाये जाने की दिशा में और अधिक प्रयास के निर्देश देने के साथ अधिकारियों को प्रतिमाह जिलों में भ्रमण कर समीक्षा करने के लिये भी कहा।

स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये अब नियमित लगेंगे रोजगार मेले

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावान पटेल ने कहा है कि जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये सतना जिले में निरंतर रोजगार मेले आयोजित किये जायेगे। इन रोजगार मेलों में सतना में संचालित सीमेन्ट कम्पनियों को भी शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल जिले के रामनगर में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्थानीय युवाओं का कौशल विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिये जाये। उन्होंने चयनित युवाओं से अनिवार्य रूप से विभिन्न कम्पनियों में जाकर ज्वाईनिंग करने का आग्रह किया। सांसद श्री गणेश सिंह ने बताया कि जिले में जो व्यापारिक संस्थान संचालित हो रहे हैं वे अनिवार्य रूप से रोजगार मेलों में अपना कांउन्टर लगाये। ऐसा करने पर मुख्यमंत्री द्वारा 60 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा पूरी की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश डे–राज्य आजीविका मिशन जिला पंचायत सतना द्वारा रविवार को सतना जिले में जनपद पंचायत रामनगर में आयोजित विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले में प्रदेश व अन्य प्रदेशों से अलग–अलग क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठित 20 कम्पनियों को बुलाया गया। रोजगार मेले में 1044 युवाओं का पंजीयन हुआ। इनमें 1035 बेरोजगार युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता, दक्षता और कौशल की काउन्सलिंग की गई। जिसमें कम्पनियों द्वारा मानव संसाधन की पूर्ति हेतु 398 बेरोजगार युवाओं को साक्षात्कार करते हुए चयन कर जॉब आफर किया गया।

पिछले वर्ष पिछड़ा वर्ग के 917 छात्रों को मिला छात्रगृह योजना का फायदा

भोपाल। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्हें स्थानाभाव के कारण छात्रावास में रहकर अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है, उन छात्रों को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्र गृह योजना का फायदा दिलाया जा रहा है। पिछले वर्ष 917 विद्यार्थियों को छात्र गृह योजना का लाभ दिलाया गया। विभाग द्वारा पिछले वर्ष इस योजना में करीब 57 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

विभाग द्वारा इस वर्ष इस योजना में 90 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किराये का भवन लेकर अध्ययन करने पर किराये की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। विभाग ने तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्र गृहों के लिये किराये के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र 1000 रुपये निर्धारित किया है।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को, जिन्हें स्थानाभाव के कारण छात्रावास में रहकर अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है, उन छात्रों को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्र गृह योजना का फायदा दिलाया जा रहा है। पिछले वर्ष 917 विद्यार्थियों को छात्र गृह योजना का लाभ दिलाया गया। विभाग द्वारा पिछले वर्ष इस योजना में करीब 57 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

विभाग द्वारा इस वर्ष इस योजना में 90 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किराये का भवन लेकर अध्ययन करने पर किराये की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। विभाग ने तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्र गृहों के लिये किराये के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र 1000 रुपये निर्धारित किया है।

मंडियों और समर्थन मूल्य व्यवस्था को बंद करने वाली बातें भ्रामक और असत्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नसरूल्लागंज (सीहोर) में 5 लाख किसानों के खातों में 100 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मूल्य व्यवस्था को बंद करने वाली बातें भ्रामक और असत्य हैं। किसान इन बातों पर ध्यान न दें। प्रदेश में 50 वर्षो से एक–दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 5 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने के बाद सभा को सम्बोधित कर रहे थे।

किसानों ने किया कृषि कानूनों का पुरजोर समर्थन

पूरे प्रदेश के किसानों से सीधे जुड़े मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों से कृषि कानूनों पर चर्चा की और किसानों ने कृषि कानूनों का जोरदार स्वागत और समर्थन करते हुए तालियां बजाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन कानूनों से प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन मे क्रांतिकारी बदलाव आएगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी।

92 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण तथा 53 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 42 करोड़ की लागत के 10 विकास और निर्माण कार्यो का लोकार्पण तथा 53 करोड़ से अधिक के 10 निर्माण कार्यो का भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने नसरुल्लागंज अस्पताल के विस्तार के लिए 11 करोड़ रुपये की घोषणा भी की। उन्होंने अनेक हितग्राहियों को मत्स्य और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया तथा मुख्यमंत्री पथ विक्रेता निधि योजना की राशि के चैक भी वितरित किये। विश्व विकलांग दिवस पर उन्होंने 50 दिव्यांगों को बैटरी और रिवर्स गेयर की सुविधायुक्त ट्रायसिकल भी भेंट की।

मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि मंडियों को बन्द करने की बातें भ्रामक और कोरी बकवास हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य बन्द हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ, तब तक कोई समर्थन मूल्य बन्द नहीं होगा।

भू–अभिलेखों की नकल तथा राजस्व न्यायालयों में पंजी के लिये बुलावा ऑनलाइन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और पिछले 8 माह में ही विभिन्न योजनाओं की 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सहायता राशि किसानों के खाते में डाली गई है। खेती किसानी से सम्बंधित नकल आदि अब ऑनलाइन मिलेगी और रेवेन्यू बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से नामांतरण बटवारा सहित राजस्व न्यायालयों में पेशी के लिए आमंत्रण भी ऑनलाइन होगा।

ग्रामों की जमीनों और मकान का स्वामित्व अब ग्रामीण भाईयों को मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अब सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है, गांव की सभी जमीनों और मकान आदि का स्वामित्व अब ग्रामीण भाई बहनों के नाम पर किया जाएगा, जिससे उन्हें भी बैंक लोन के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा मिल पायेगा।

पटवारी हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

गरीबों की आबादी के मान से होगा बजट आवंटन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बंद की गई गरीबों के कल्याण की योजनाएं फिर प्रारम्भ कर दी हैं और अब प्रदेश में गरीबों की आबादी के मान से योजनाओं के लिए बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, फीस मामा भरेगा। श्री चौहान ने कहा कि वे जल्दी ही स्व–सहायता समूह की 450 महिलाओं के खातों में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि देंगे।

मछुआरों और पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड देने का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए उत्पादक गतिविधियों के साथ ही लोकल उत्पादों को वोकल बनाकर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूलों की यूनिफार्म और आंगनबाड़ी के पोषण आहार का निर्माण स्वसहायता समूहों को सौंपा गया है।

अब मंडी शुल्क आठ आना और सब्जी मंडी में 2 परसेंट कमीशन

मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि अब किसानों को आजादी है कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी शुल्क आठ आना यानी 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी में भी टैक्स 2 परसेंट कर दिया गया है।

कृषि ऋण पर ब्याज सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कर्जमाफी के फेर में कई किसान कर्जदार हो गए और उन पर कर्ज की गठरी लद गई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है,उस अवधि का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी और किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतरेगी।

ऑनलाइन किया किसानों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऑनलाइन सागर, रायसेन, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर के एक एक कृषक से संवाद किया तथा उनसे खेती–किसानी की स्थिति तथा शासकीय योजनाओं की लाभ प्राप्ति के संबंध में चर्चा की।

सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग इकाईयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्टिंग ईकाइयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किये जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को एक प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक कुल 150 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं 55 विपणन सहकारी समितियों को इसके लिये चयनित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी सेंटर जैसे शॉर्टिंग ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि के रूप में विकसित किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कृषक सुविधा केन्द्र बनाए जाएँगे। जहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का यह प्रयास होगा कि प्रदेश की सहकारी समितियों में अधिक से अधिक इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्टिंग अधोसंरचना निर्मित की जा सके, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को स्थानीय स्तर पर ही इन समितियों के माध्यम से लाभ मिल सके और किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उनके लाभ में वृद्धि की जा सकें तथा उसमें उपज की हानियों को कम किया जा सके।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि किसानों और समिति के सदस्यों को इस योजना के संबंध में पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। समिति के सदस्यों को प्रोजेक्ट्स का भागीदार बनाया जाएगा, ताकि वे भी उसके स्वामित्व में सम्मिलित हो सकें। किसान भाईयों को खेती की नई–नई तकनीकों का ज्ञान देने के लिये विषय–विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली जाएंगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।